

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 170/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि., रजिस्टर्ड आफिस 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर एवं ए यू
स्क्वायर बी-11 -ई, मालवीय नगर इण्डिस्ट्रीज एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. भौरी लाल शर्मा पुत्र श्योनाथ शर्मा
निवासी 51, ब्राह्मण मोहल्ला, भवानी खुर्द, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर,
पट्टा स नं. 23, ग्राम पंचायत भवानी, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
2. छीतर मल शर्मा पुत्र श्री राम सहाय शर्मा
131, भवानी खुर्द, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर
पट्टा स नं. 24, ग्राम पंचायत भवानी, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
3. श्रीमती कान्ता देवी शर्मा पत्नी श्री भौरी लाल शर्मा
निवासी भवानी खुर्द, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारंटर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.



उपस्थित:-श्री मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 12-9-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.07.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री भौरीलाल शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 23, ग्राम पंचायत भवानी पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्रफल 93.33 वर्गगज एवं अप्रार्थी श्री छीतर मल शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 24 ग्राम पंचायत भवानी पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्रफल 93.33 वर्गगज को बंधक रख कर 5,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्वये अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.12.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी होने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की

धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित की ओर से वकील श्री नीरज शर्मा उपस्थित हुये।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.12.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र क्रमशः इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नव ज्योति में दिनांक 03.03.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री भौरीलाल शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 23, ग्राम पंचायत भवानी पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्रफल 93.33 वर्गगज एवं अप्रार्थी श्री छीतर मल शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 24, ग्राम पंचायत भवानी पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्रफल 93.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 12-9-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर